

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री किशन लाल मीणा निवासी ईटुन्दा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 108/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2025	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपरिथत।</li><li>अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक 249869815406076 दिनांक 26.07.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।</li><li>लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1557 दिनांक 08-09-2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय जहाजपुर के पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 25.09.2025 से आवेदक को सूचना/जवाब उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया एवं अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।</li></ol> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 09-09-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</p>	

